

महत्वपूर्ण एवं खास

भुजबंधान तालाब के पास स्थित
राममंदिर के गुंबद में फांसी पर लटकी
मिली पुजारी की लाश

क्षेत्र में फैली सनसनी, कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जूटी रायगढ़। बैकुंठपुर क्षेत्र के भुजबंधान तालाब के पास स्थित निर्माणाधीन राममंदिर के गुंबद में पुजारी ने सदिंध परिस्थिति में धोती से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद बैकुंठपुर इलाके में सनसनी फैल गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक पुजारी का नाम अनिल दीक्षित है वे मुलतः मध्यप्रदेश के भिंड जिले के गेवासा का रहने वाला था। जो रायगढ़ में ही रहकर पिछले कई वर्षों से पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। और पंचानाम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहाँ मामले की जांच में जूट गई है।

राज्योत्सव पर मुख्य शासकीय भवनों पर रोशनी किए जाने के निर्देश

रायगढ़। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य में आदर्श चुनाव आचार सहित लागू होने के कारण इस वर्ष जिले में राज्य स्थानान्वयन दिवस राज्योत्सव' आयोजित नहीं किया जाएगा। केवल 01 नवंबर 2018 की रात्रि में सभी जिला मुख्यालयों एवं राजधानी रायगढ़, अटल नगर रायगढ़ में स्थित शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी।

नगर सैनिकों को डाकमत पत्र के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़। जिला नगर सेनानी में कार्यरत सैनिकों को आज पुलिस ग्राउंड चांदमारी स्थित बैरक में डाकमत पत्र के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें सैनिकों से प्रपत्र 12 भरवाया गया तथा मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान कैसे

किया जाना है, इस संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला सेनानी कमांडेंट बी. कुमूर, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डी.के.वर्मा, शास.उच्च.माध्य. विद्यालय धनागर के प्राचार्य राजेन्द्र मेहरा, मास्टर ट्रेनर भुनेश्वर पटेल एवं बड़ी संख्या में नगर सैनिक उपस्थित थे। इसी तरह धरमजयगढ़ विधानसभा में पुलिस विभाग के प्रमुख अर्जुन कुर्मे एवं श्रीमती सरोजनी टोप्पो और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को डाकमत पत्र प्राप्त 12 भरवाया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर रविशंकर सारथी, हकीम उम्र खान, के. विश्वास के द्वारा इक्वीएम एवं व्हीवीपीएटी मशीन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

मर चुकी है बाल कल्याण समिति और लैलूंगा पुलिस की संवेदनायें दुष्कर्म के दो मामलों में पुलिस की कार्यवाही लचर, गैंग रेप पीड़िता और घटना का संदर्भ

पत्रकार नितिन सिन्हा की कलम से....

रायगढ़। जहाँ एक और केंद्र एवं राज्य सरकार बेटी बच्चों बेटी पढ़ाओं नारे को बुलन्द करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ रायगढ़ जिले में बेटियाँ की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार विभागों की गम्भीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे हालात तब और अधिक तकालीफ तब देते हैं, जब जिले की प्रशासनिक कमान एक उच्च-विभिन्न संवेदनशील महिला के हाथों में है। वहाँ जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग में भी तमाम बड़े पर्दों पर महिला अधिकारियों की भरमार है। फिर भी दुष्कर्म और सामिक्षक दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता बालिङ/बालिंग बेटियों को न्याय पाने के लिए या तो काफी संघर्ष करना पड़ता है या अपनाकर विभिन्न विभागों में आरोपियों से समझौते की कवायद लियी जाती है। उत्तरांचल में स्थित लैलूंगा थाना क्षेत्र में घटी कुछ घटनाएं ऐसे दुष्कर्द हालात को बयान करती हैं।



विवाद होने के कुछ दिन बाद ही उसी घर के पीड़िता के साथ दुष्कर्म होना कहीं ना कहीं आपसी रजिश को जन्म देता सा दिखाई पड़ता है। इस पूरे मामले में दहशत में जीर्ण रहे पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस पर ही लापरवाही का बाहर है। लैलूंगा विकासखण्ड के बिरसिंध जंगल में थाने से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बिरसिंध घट जंगल में दोपहर 2:00 बजे के आसपास, दिनदहाड़े दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें आपराधिक मनोवृत्ति का आरोपी मौका पाकर गांव में चावल पिसा कर आ रही बिरसिंध की एक युवती को जबरदस्ती जंगल में ले जाकर न केवल उससे दुष्कर्म किया, बल्कि विरोध करने पर पीड़िता का पैर भी तोड़ दिया था। दुष्कर्म की इस घटना को घटे करीब 15 दिन बीत चुके हैं इसके बाद भी घटना को आरोपी पुलिस की पकड़ दे बाहर है। दिनदहाड़े घटी इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। खासकर इस रासेस से स्कूल जाने वाली छात्राओं में डर का माहौल है। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथों कोई सुराग न लग पाना यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। साथ ही ग्रामीण अंचलों में घटना के बाद पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है। बिरसिंध जंगल में ही हुए दिनदहाड़े दुष्कर्म मामले में पीड़िता के परिजनों को कहना है कि कुछ दिन पहले जमीन संबंधी विवाद को लेकर गांव के ही 10 - 15 लोगों ने घर घुसकर मालपीट की कोशिश की थी। जिसकी पूर्व में ही लैलूंगा पुलिस थाने में नामजद शिकायत की गई थी। उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई उक्त

मामले देखने अपने रिशेदारों के साथ आई हुई थी। पीड़िता तमनार के ग्राम भालुंगा की रहने वाली थी। घटना के दिन वह ग्राम पूलिकुण्ड से राजपुर मेला देखने आई हुई थी जहाँ मेला देखे रही युवती को कुछ युवकों ने बालात मेला स्थल से उत्तरकर कार में बैठाते हुए जंगल की तरफ ले गए। जहाँ पीड़िता नाबालिंग से कूरता के साथ कामांध युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, वही विरोध किये जाने पर युवती के साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई। घटना को अंजाम देने के बाद युवती को बुरी तरह डराया धमकाया भी गया कि अगर वह किसी को इस घटना के बारे बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

घटना की लेकर पीड़िता का कहना है कि घर के लिए चावल पिसा के आते समय एक अंजात युवक ने उसका पीछा किया, और सुनसान रहते में मुझे जबरदस्ती खींच कर जंगल की तरफ ले गया और मेरे साथ बालात दुष्कर्म किया। घटना के बाद हमारे द्वारा शिकायत लैलूंगा थाने में की गई थी। परन्तु घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

पीड़िता का क्या कहना है?

घटना को लेकर पीड़िता का कहना है कि घर के लिए चावल पिसा के आते समय एक अंजात युवक ने उसका पीछा किया, और सुनसान रहते में मुझे जबरदस्ती खींच कर जंगल की तरफ ले गया और मेरे साथ बालात दुष्कर्म किया। घटना के बाद हमारे द्वारा शिकायत लैलूंगा थाने में की गई थी। परन्तु घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

दूसरी घटना, शरद पूर्णिमा के दिन इसी थाने के अंतर्गत राजपुर मेला देखने आई नाबालिंग लड़की के साथ दुष्कर्म का घटना घटी जिसके बाद पीड़िता को कथित तौर पर घटना में सलिस एक रस्खदार आरोपी, जो कि कोई फूड इंस्पेक्टर देने वाली शर्मनाक घटना घटी जिसके बाद पीड़िता को कथित तौर पर घटना में रखा गया और अहिंसात्मक किसान आन्दोलन के प्रतिक्रिया में पीड़िता के परिजनों को घर घुसकर गांव के ही 10 - 15 लोगों ने घर घुसकर मालपीट की कोशिश की थी। जिसकी पूर्व में ही लैलूंगा पुलिस थाने में नामजद बनाया गया जिससे पीड़िता भ्रमित होकर उसे पहचान नहीं पाए। हालांकि घटना की

विवाद होने के बाद ही उसी घर के लिए चावल पिसा के आते समय एक अंजात युवक ने उसका पीछा किया, और सुनसान रहते में मुझे जबरदस्ती खींच कर जंगल की तरफ ले गया और मेरे साथ बालात दुष्कर्म किया। घटना के बाद हमारे द्वारा शिकायत लैलूंगा थाने में की गई थी। परन्तु घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

जिसके बाद लड़की के बताए अनुसार 3 युवकों को सलिस एक और घटना में सलिस दो युवक फराहे हो गए। यहाँ पुलिस ने कथित फूड इंस्पेक्टर को भ्रमित होकर आरोपीयों के बिरुद्ध धारा 323, 363, 366, 376-डी, 506, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया लेकिन लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के सम्बन्ध में किसी आपराध के पंजीबद्ध किए जाने सम्बन्धी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

जिसके बाद लड़की के बताए अनुसार 3 युवकों को प्रतिक्रिया कर लिया गया है। अब घटना में सलिस एक और घटना में सलिस दो युवक फराहे हो गए। यहाँ पुलिस ने अब तक पीड़िता को भ्रमित होकर आरोपीयों के बिरुद्ध धारा 323, 363, 366, 376-डी, 506, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया लेकिन लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के सम्बन्ध में किसी आपराध के पंजीबद्ध किए जाने सम्बन्धी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

जिसके बाद लड़की के बताए अनुसार 3 युवकों को प्रतिक्रिया कर लिया गया है। अब घटना में सलिस एक और घटना में सलिस दो युवक फराहे हो गए। यहाँ पुलिस ने अब तक पीड़िता को भ्रमित होकर आरोपीयों के बिरुद्ध धारा 323, 363, 366, 376-डी, 506, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया लेकिन लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के सम्बन्ध में किसी आपराध के पंजीबद्ध किए जाने सम्बन्धी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

जिसके बाद लड़की के